मु.नं.–36 / 2021 GCMS ID-2021/67 ता.रजु–24.05.2021

# न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

पुनीत पाठक, निवासी ब्रह्मपुरी कॉलोनी, चुंगी नाका, बयाना रोड, हिण्डौन सिटी, जिला करौली (राज.) – अपीलार्थी

**बनाम**

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन सिटी – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

## निर्णय

दिनांक–26.08.2021

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने की व्यवस्थाओं में एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी को दिनांक 09.06.2021, 16.06.2021, 23.06.2021, 30.06.2021, 07.07.2021, 14.07.21, 22.07.21, 29.07.21, 05.08.21, 18.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर एस.डी.एम. कोर्ट हिण्डौन में एस.एच.ओ. नई मण्डी थाना द्वारा दिनांक 20.08.2020 को डिस्पेच नंबर 3822 अंतर्गत धारा 107, 116(3) के अंतर्गत पेश किये इस्तगासा की फोटोप्रति, आदेशिका, इस्तगासा में जारी नोटिस सम्मन सहित सभी रिपोर्टों की प्रमाणित प्रति आदि सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 22. 04.2021 को उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोकहित से संबंधित नहीं होने तथा प्रार्थी तृतीय पक्षकार होने के कारण सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं था जिसकी सूचना अपीलार्थी को पत्रांक 126 दिनांक 28.04.2021 द्वारा प्रेषित कर दी गई। अंत में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना में व्यापक लोकहित निहित नहीं है और सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित है। प्रत्यर्थी द्वारा अपने विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत करवा दिया गया है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद वह इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। इससे विदित होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा किये गये विनिश्चय से संतुष्ट है। अतः अपील, अपीलार्थी, खारिज किया जाना उचित है।
7. अस्तु अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली